न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./1176/2004/भरतपुर

1– शिवचरण पुत्र श्री कढेरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पाहुआ तहसील कुम्हैर जिला भरतपुर– लापता (गायब) –
1/1. प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र शिवचरण,
1/2. द्वारका प्रसाद शर्मा पुत्र शिवचरण,
1/3. भगवत प्रसाद शर्मा पुत्र शिवचरण,
1/4. भगवती पुत्री शिवचरण,
1/5. फूलवती पुत्री शिवचरण सभी निवासी ग्राम पाहुआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1– बाबूलाल पुत्र सुखाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पाहुआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर – फौत (वारिसान)
1/1. दिनेश कुमार पुत्र बाबूलाल,
1/2. पुरूषोत्तम पुत्र बाबूलाल,
1/3. ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल,
1/4. रामादेवी बेवा बाबूलाल समस्त जाति ब्राह्मण निवासी पाहुआ तहसील कुम्हैर जिला भरतपुर।
1/5. उर्मिला शर्मा पुत्री बाबूलाल पत्नि देवेन्द्र शर्मा निवासी, डीग जिला भरतपुर।
1/6. पुष्पा पुत्री बाबूलाल पत्नि रामप्रकाश निवासी बरकत नगर, जयपुर।
2– राजस्थान सरकार।

..... रैस्पोडेंट

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री ओ0एल0 दवे, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री वैभव पारीक/ श्री जे0के0 पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3

निर्णय **दिनांक :– 5.10.2020**

प्रश्नगत् अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 20–12–2003 अपील सं0 49/2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 बाबूलाल पुत्र सुखाराम ने एक प्रार्थना पत्र विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के समक्ष प्रस्तुत कर अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाते हुए केवल राज्य सरकार को पक्षकार बनाकर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एकतरफा में ही तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 25–2–2003 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया जिस निर्णय दिनांक 25–2–2003 के विरूद्ध अपीलांट ने विद्वान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 20–12–2003 को अपील अपीलार्थी स्वीकार कर ली गई जिस निर्णय दिनांक 20–12–2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10–ए. एवं 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर बताया कि अप्रार्थी सं0 1 की मृत्यु दिनांक 18–3–2007 को हो चुकी है। इसलिए अप्रार्थी सं0 1 के वारिसों को रेकार्ड पर लिया जावें। इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी शिवचरण पुत्र कढेरा सन् 2000 से अपने घर से लापता (गायब) है और शिवचरण के वारिसान मुकदमें की पैरवी करना चाहते हैं जिनके प्रार्थना पत्र में अंकित वैद्य वारिसान बताते हुए कानून का प्रतिपादित सिद्धान है कि 7 साल से जो व्यक्ति गायब है, उसे मृतक मान लिया जाता है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में मृतक शिवचरण के वारिसानों को पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित किया जावें।

4– दोनों प्रार्थना पत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण काफी पुराना हो चुका है एवं दोनों प्रार्थना पत्र काफी समय पूर्व लगाये जा चुके हैं किन्तु उन पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए प्रकरण काफी पुराना होने के कारण दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण में मैरिट पर बहस सुनी गयी।

5– विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

6– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथ्यों एवं कानून के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी खातेदार की भूमि का उसे नोटिस दिये और सुनवाई का अवसर दिये बिना कम नहीं किया जा सकता है। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि व्यथित पक्षकार को बिना नोटिस दिये कोई आदेश पारित नहीं किया जावेगा किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्णय पारित किये हैं तथा अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। बहस में आगे कहा कि

भू–प्रबन्ध का कार्य समाप्त होने के बाद धारा 136 में उपखण्ड अधिकारी को किसी खातेदार की आराजी को कम करके अन्य की खातेदारी में घोषित करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।

7– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 25–2–2003 में केवल नक्शा ट्रेस में संशोधन किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होने से अपील अपीलांट काबिल खारिज योग्य है।

8– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

9– विद्वान अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 20–12–2003 में अंकित किया है कि प्रस्तुत प्रकरण नक्शा दुरूस्ती का है जिसमें सीमा दुरूस्ती की जानी थी। नक्शा दुरूस्ती के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम पाहुआ व रूंध हेलक बड़ी के नवीन खसरा नम्बरान को एक साथ मिलाकर देखने पर जो त्रुटि सामने आई है, उसको रेकार्ड के अनुसार नक्शें को दुरूस्त किया गया है। वकील अपीलार्थी का कथन है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया। रेकार्ड को दुरूस्त करने का दायित्व उपखण्ड अधिकारी का है। उन्होंने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया है जिसमें अपीलार्थी को सुने जाने की आवश्यकता नहीं थी। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

10– पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि बाबूलाल सायल द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज का पेश किया गया जिसमें राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया गया है, शिवचरण पुत्र कढेरा को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर ने अपने निर्णय दिनांक 25–2–2003 में यह माना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार कुम्हेर की रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार बिन्दु सं0 ए.बी. को ई. तक व ई. से डी तक मिलाया जावें व रेखा बी.सी. को हटाया जावें। इसी प्रकार नक्शा किस्तवार में शुद्धि की जावें। उक्त आदेश की अपील अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने अपने निर्णय में भी यही अंकित किया है कि ग्राम पाहुआ व रूंध हेलक बड़ी के नवीन खसरा नम्बरान को एक साथ मिलाकर देखने पर जो त्रुटि सामने आयी है उसको रेकार्ड के अनुसार नक्शें को दुरूस्त किया गया है। साथ ही उन्होंने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया है जिसमें अपीलार्थी को सुने

जाने की कोई आवश्यकता नहीं होना जाहिर किया है। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में उल्लेखित किया गया है कि– भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार–अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें:

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतु दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।

11– नकल जमाबन्दी ग्राम पाहुआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर सम्वत् 2054 से 2057 में खसरा नं0 1658 रकबा 1–19 है0 शिवचरण पुत्र कढेरा कौम ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी के आदेश में अंकित है कि तहसीलदार कुम्हेर की रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनसार बिन्दू सं0 ए.बी. को ई. तक व ई. से डी. तक मिलाया जावें व रेखा बी.सी. को हटाया जावें। इसी प्रकार नक्शा किस्तवार में शुद्धि की जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस में खसरा नं0 1658 प्रभावित हो रहा है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा सायल शिवचरण को न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का कोई उचित अवसर प्रदान किया गया है। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाने योग्य होने से प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है।

12– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–12–2003 व विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर का निर्णय दिनांक 25–2–2003 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

सदस्य